

उच्च न्यायालय इलाहाबाद, लखनऊ

दांडिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या.- 2096/2026

सचिन

..... आवेदनकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, द्वारा प्रमुख सचिव, गृह लखनऊ

.....प्रतिवादी(गण)

आवेदनकर्ता(गण) के अधिवक्ता	: - शिव प्रकाश सिंह
प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता	: - शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या. - 28

माननीय न्यायमूर्ति राजीव भारती

आवेदनकर्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।

आवेदनकर्ता की ओर से दाखिल अनुपूरक शपथ-पत्र को अभिलेख पर लिया जाता है।

वर्तमान जमानत आवेदन अभियुक्त-आवेदनकर्ता की ओर से वाद अपराध संख्या 117/2025, अंतर्गत धारा 2/3 उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986, थाना- लालगंज, जनपद प्रतापगढ़ में जमानत की मांग करते हुए प्रस्तुत किया गया है।

आवेदनकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि गैंग चार्ट में आवेदनकर्ता के विरुद्ध केवल एक मामला दर्शाया गया है, जिसमें उसका जमानत आवेदन विचाराधीन है। गैंग चार्ट में दर्शाए गए वर्तमान मामले के अतिरिक्त, एक अन्य मामला अर्थात् वाद अपराध संख्या 750/2021, अंतर्गत धारा 147, 352, 427, 504, 506, थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़ का है, जिसमें आज की तिथि तक आवेदनकर्ता को कोई समन या सूचना तामील नहीं की गयी है। मुख्य अभियुक्त शनि वर्मा को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा दाण्डिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या

अस्वीकरण:
“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”

393/2026 में पारित आदेश दिनांक 22.01.2026 के माध्यम से जमानत प्रदान की जा चुकी है। आवेदनकर्ता उक्त सह-अभियुक्त के साथ समानता का दावा करता है। आवेदनकर्ता 18.11.2024 से जेल में निरुद्ध है।

यह भी प्रस्तुत किया गया है कि आवेदनकर्ता उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 19(4)(ख) की आवश्यकता के अनुसार वचनपत्र प्रस्तुत करने के लिए तैयार है। यह आगे तर्क दिया गया है कि आवेदनकर्ता के न्यायिक अभिरक्षा से फरार होने या गवाहों को प्रभावित करने की कोई संभावना नहीं है। यदि आवेदनकर्ता को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, किंतु वह सह-अभियुक्त के साथ समानता के आधार का खंडन नहीं कर सके।

इन तथ्यों पर सम्यक विचार करने के उपरांत कि आवेदनकर्ता 18.11.2024 से जेल में निरुद्ध है; आवेदनकर्ता के आपराधिक इतिहास को जमानत आवेदन के समर्थन में दाखिल शपथ पत्र में विधिवत स्पष्ट किया गया है; सह-अभियुक्त को इस न्यायालय द्वारा पहले ही जमानत प्रदान की जा चुकी है; मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं आवेदनकर्ता को जमानत पर रिहा करने के लिए इसे एक उपयुक्त मामला पाता हूँ।

तदनुसार, जमानत आवेदन **स्वीकृत** किया जाता है।

उपरोक्त वाद अपराध संख्या/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या से संबंधित अभियुक्त- **सचिन** को व्यक्तिगत बंध-पत्र तथा समान धनराशि के दो प्रतिभू संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार प्रस्तुत करने पर निम्नवत शर्तों के साथ जमानत पर रिहा कर दिया जाए, जो यहा न्याय हित में अधिरोपित की जा रही हैं:-

- (i) आवेदनकर्ता विचारण के दौरान साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- (ii) आवेदनकर्ता अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा और न ही उन्हें डराएगा-धमकाएगा।
- (iii) आवेदनकर्ता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, ताकि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से रोका जा सके, और न ही साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करेगा।

अस्वीकरण:

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”

(iv) आवेदनकर्ता इस आशय का एक वचनपत्र दाखिल करेगा कि वह साक्ष्य के लिए नियत उन तिथियों पर कोई स्थगन नहीं मांगेगा जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों। इस शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, विचारण न्यायालय इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानने एवं विधि अनुसार आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(v) आवेदनकर्ता उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 19(4)(ख) की आवश्यकता के अनुसार एक वचनपत्र भी दाखिल करेगा कि वह किसी भी मामले में संलिप्त नहीं होगा और न ही जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करेगा।

(vi) आवेदनकर्ता प्रत्येक नियत तिथि पर या तो व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति की स्थिति में, विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध विधि के अनुसार कार्यवाही कर सकता है।

(vii) यदि आवेदनकर्ता विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 84 के अंतर्गत उद्घोषणा जारी की जाती है और आवेदनकर्ता ऐसी उद्घोषणा में नियत तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय विधि के अनुसार उसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 209 के अंतर्गत कार्यवाही प्रारम्भ करेगा।

(न्यायमूर्ति राजीव भारती)

मार्च 30, 2026

शुक्ला

अस्वीकरण:

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”